

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

राँची, दिनांक-18-10-2024

विषय:- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2030-स्टाम्प पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, लघुशीर्ष-101-स्टाम्पों की लागत, उपशीर्ष-05-क्रेताओं को ई-स्टाम्प की मूल्य वापसी के अंतर्गत "वापसी" इकाई विपत्र कोड 38S20300210105000886 में कुल ₹37,39,400/- (सैंतीस लाख उनचालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विषयांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-352(A)/वा0, दिनांक-21.09.2024 एवं 'उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1114/सा0, दिनांक-18.09.2024 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में क्रेताओं को ई-स्टाम्प की मूल्य वापसी के अंतर्गत "वापसी" इकाई में कुल ₹37,39,400/- (सैंतीस लाख उनचालीस हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:-

क्र.	इकाई/जिला	हजारीबाग (HZBSNR 001)	पूर्वी सिंहभूम (JSRSNR 001)	कुल
1	मुद्रण	3290400	449000	3739400

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं पत्रांक-257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
4. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या-38 के अतिरिक्त विपत्र कोड का इकाईवार उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
6. आवंटित राशि का भुगतान एक महीने के भीतर कराना सुनिश्चित किया जाय एवं अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।
7. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shree
16/X
(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

89/सा0 राँची, दिनांक- 18-10-2024

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree
16/X X LV
सरकार के सचिव।